लापरवाही करते हुए रोज़ा न रखाने वाले का हुक्म

﴿ حكم تارك الصوم تهاونًا ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ حكم تارك الصوم تهاونًا ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

लापरवाही करते हुए रोज़ा न रखने का हुक्म

प्रश्नः

उस व्यक्ति का हुक्म क्या है जिसने रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया जबकि वह उसके रोज़े की अनिवार्यता का इनकार करने वाला नहीं है, क्या उसका एक से अधिक बार लापरवाही करते हुए रोज़ा न रखना उसे इस्लाम से बाहर निकाल देगा ?

उत्तरः

जिस आदमी ने बिना किसी वैध कारण (शरई उज़्र) के रमज़ान के महीने में जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, तो उसने एक बड़ा पाप कया है, और

विद्वानों के सबसे शुद्ध कथन के अनुसार वह इसके कारण काफिर नहीं होगा। उस पर उसकी क़ज़ा करने के साथ–साथ सर्वशक्तिमान अल्लाह से तौबा –पश्चाताप प्रदर्शन– करना अनिवार्य है। तथा व्यापक सबूत इस बात का संकेत देते हैं कि रोज़ा छोड़ देना कुफ्र नहीं है यदि आदमी ने उसकी अनिवार्यता का इनकार नहीं किया है, बल्कि सुस्ती और लापरवाही करते हुए रोज़ा तोड़ा है। तथा उसके ऊपर प्रत्येक दिन के बदले एक गरीब को खाना खिलाना अनिवार्य है यदि उसने बिना किसी वैध कारण के उसकी क़ज़ा को दूसरे रमज़ान तक विलंब कर दिया है, जैसाकि सातवें प्रश्न के उत्तर में यह बात गुज़र चुकी है। इसी प्रकार सक्षम होने के बावजूद ज़कात की अदायगी और हज्ज को छोड़ देना का भी मामला है, यदि आदमी ने उनके अनिवार्य होने का इनकार नहीं किया है तो उनके छोड़ने से वह काफिर (नास्तिक) नहीं होगा। तथा उस पर उन बीते हुए सालों की ज़कात निकालना अनिवार्य है जिनकी ज़कात निकालने में उसने कोताही की है, इसी तरह उस पर विलंब करने के कारण शुद्ध (सच्ची) तौबा करने के साथ साथ हज्ज करना अनिवार्य है। क्योंकि इस संबंध में वर्णित शरीयत के प्रमाणों का सामान्य अर्थ उन के काफिर न होने को इंगित करता है यदि उन्हों ने उनके अनिवार्य होने का इनकार नहीं किया है। उन्हीं प्रमाणों में से वह हदीस है जिसमें इस बात का उल्लेख हुआ है कि ज़कात न देने वाले को क़ियामत के दिन उसके धन के द्वारा दंडित किया जायेगा, फिर उसे स्वर्ग की ओर या नरक की ओर उसका रास्ता दिखा दिया जायेगा। (इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में हदीस संख्या (1647) के तहत रिवायत कया है।)

समाहतुश्शैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूओ फतावा इब्ने बाज़" (१५/३३१).